कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / 14615/310 दिनांक– 29/11/16

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, वीरपुर
जिला– सुपौल

महाशय,

नगर पंचायत, वीरपुर के वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 286 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

–ह0–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14615 / 310 दिनांक– 29/11/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सुपौल

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

में संबंधित आय शीर्ष में प्रेषण/जमा कर देना है क्योंकि ये उपकर सरकारी राजस्व है तथा नगर निगम मात्र इसका वसूलकर्ता के रूप में कार्य करता है। लेखा परीक्षा में उपलबध कराये गये विवरणी के अनुसार वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि में शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर मद में वसूल की गई कुल राशि 506624.00 रू. थी। परंतु कार्यालय द्वारा 10 प्रतिशत का वसूली शुल्क काटकर शेष राशि 455961.60 रू सरकार को प्रेषित नहीं किया गया। विवरण निम्न है:–

मद	2013-14	2014-15	2015-16
स्वास्थ शेष	72218	97628	83466
शिक्षा शेष	72218	97628	83466
कुल	1,44,436.00	1,95,256.00	1,66,932

कार्यालय का जवाब:– सरकार को उपकर की राशि प्रेषित कर दी जायेगी।

अतः राशि सरकार को प्रेषित किया जाय।

कण्डिका:– 7 सैरातों की बन्दोबस्ती मुद्रांक पर नहीं करने के कारण राजस्व की हानि, राशि ₹ 1.09 लाख

राज्य सरकार के पत्र संख्या 1920/आर ई आई मुख्य सचिव दिनांक 14.8.2002 तथा सचिव सह आई0 जी0 निबंधन बिहार के पत्र संख्या 549 दिनांक 13.3.2005 के अनुसार सैरातों की बन्दोबस्ती में बन्दोबस्ती राशि पर 3 प्रतिशत के बराबर मुद्रांक पर बन्दोबस्तीधारी के साथ एकरारनामा किये जाने का प्रावधान है।

परंतु नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि में सैरातों की बन्दोबस्ती मुद्रांक शुल्क पर नहीं की गई, जिसके कारण राज्य सरकार को 108915.00 रू के राजस्व की हानि हुई। विवरण निम्न है:–

क्रम संख्या	सैरात का नाम	बन्दोबस्ती की राशि			कुल	मुद्रांक शुल्क की राशि @ 3 प्रतिशत
		2013–14	2014–15	2015–16		
1	बस पड़ाव	1203500	608600	815100	2627200	
2	हाट	552000	0	348000	900000	
3	गुदड़ी	0	40300	63000	103300	
कुल					3630500	108915.00 रू

वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में बस पड़ाव के बन्दोबस्ती की राशियों 1203500.00 रू एवं 608600.00 रू पर देय मुद्रांक शुल्क की राशि 36105.00 रू एवं 18258.00 रू थी, परंतु सिर्फ 100–100 रू का स्टाम्प लिया गया तथा एकरारनामा का कोई शर्त नहीं लिया गया।

कार्यालय का जवाबः– आगे से की जाने वाली बन्दोबस्ती पर स्टाम्प शुल्क पर एकरारनामा किया जायेगा। अतः स्टाम्प शुल्क के रूप में हुई हानि 108915.00 रू की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से कर राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कराया जाय।

कण्डिकाः– 8 संचार टावरों का निबंधन नहीं एवं निबंधन व नवीनीकरण शुल्कों की वसूली नहीं किये जाने के कारण राजस्व की प्राप्ति नहीं, राशि ₹ 3.65 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क 30000.00 प्रति टावर एव नवीकरण शुल्क 8000.00 प्रति टावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।

नियम 5 के अनुसार कोई भी ऑपरेटर जिन्होने पूर्व में टावर का अधिष्ठापण किया हो या करना चाहता हो, रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजों के साथ नगरपालिका को आवेदन देगा।

नियम 6(2) के अनुसार नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों के लिए उपर वर्णित पंजीकरण शुल्क टावर के स्थापित करने के समय के पूर्ण वर्षों की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही टावर पर लगाए गए प्रत्येक एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है।

नियम 6(6) पंजीकरण शुल्क आवेदन की स्वीकृति के तुरन्त बाद देय हो जायेगा। अगर पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर शुल्क प्राप्त नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 6(7) वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा अनुपातिक रूप में देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 12(1) के अनुसार कोई संचालक इस नियमावली के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह राशि 5000.00 तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

लेखा परीक्षा आपत्तियॉः–

1. नई अधिसूचना के प्रभावी होने पर भी संबंधित ऑपरेटरों द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया तथा न ही कार्यालय द्वारा इस संबंध में जिसके जमीन/मकान पर मोबाईल टावर अधिष्ठापित था को नोटिस दिया गया।
2. नगर पंचायत के मोबाईल टावर के संचिका व कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत 03 मोबाईल टावर अधिष्ठापित था तथा इन कम्पनियों द्वारा इनके

अधिष्ठापण के वर्ष से ही कोई शुल्क नगर पंचायत कार्यालय को नहीं दिया गया एवं कुल मांग राशि 365 लाख रू बकाया के रूप में था।

3. बकाया की वसूली हेतु कोई कानूनी कार्रवाई सहित कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

कार्यालय का जवाबः– पूर्व में उच्च न्यायालय के निदेशानुसार नोटिस दिया गया है। पुनः आवश्यक कार्रवाई किया जायेगा।

अतः बकाया राशि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय एवं विलंब की अवधि के सूद की गणना कर नया मांग प्रेषित किया जाय।

कण्डिकाः– 9 दैनिक मजदूरी पर अनियमित भुगतान, राशि 10.95 लाख रू

रोकड़पाल रोकड़बही के जाँच में पाया गया कि वर्ष 2012–13 से 2015–16 के बीच नगर पंचायत वीरपुर द्वारा दैनिक मजदुरी पर रू0–10,94,852 व्यय की गयी थी जबकि बिहार सरकार के दिशा निर्देशानुसार दैनिक मजदुरी पर कर्मी को नहीं रखा जाना है। किया गया व्यय अनियमित है।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– VII पर संलग्न)

कार्यालय का जवाबः–

सफाई कर्मी की कमी होने के कारण एवं कार्य की महत्ता को देखते हुए कर्मियों को दैनिक मजदूरी पर रखा गया। वर्ष 2014–15 में सफाई कार्य संवेदक को दिया गया था जिसके कार्य संतोषप्रद नहीं होने के कारण हटा दिया गया है। आगे पुनः सफाई कार्य हेतु निविदा कराया जायेगा।

अतः सफाई कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाय एवं दैनिक मजदूरी पर कार्य नहीं कराया जाय। भुगतान की गई राशि 1094852.00 रू को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कण्डिकाः– 10 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की राशि का विचलन राशि ₹ 11.89 लाख

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की रोकड़ बही व संचिका के अवलोकन में पाया गया कि दिनांकः– 14.11.12 को प्रारंभिक शेषः– 214661.00 रू था तथा दिनांक 14.11.12 को 3000000.00 रू का आवंटन कौशल प्रशिक्षण व स्वरोजगार कार्यक्रम हेतु प्राप्त हुआ था, जिसमें से प्रषिक्षण हेतु कुल 1745663.00 रू व्यय किया गया। अतः राशि 1468998.00 रू बचना चाहिए था, परंतु पास बुक में राशि 279487.00 रू (एस बी आई के खाता संख्या–11712632872 में दिनांक–28.12.15 को 258429.80 रू एवं सेंट्रल बैंक के खाता संख्या–2120945328 में दिनांक' 06.08.15 21058.30 रू) ही उपलब्ध था। विवरण निम्न हैः–

रोकड़ बही की तिथि	राशि
23.03.13	500000
18.04.13	300000
18.04.13	300000
16.08.14	252173
20.08.14	393490
कुल	1745663

इस प्रकार इस योजना के राषि 1189511.00 रू (1468998– 279487) का विचलन कर तेरहवीं व अन्य मदों के योजनाओं में व्यय किया गया। रोकड़ बही में तेरहवीं व अन्य योजना मदों के आवंटन व योजनाओं में व्यय की प्रविष्टियॉ की गई थी। उल्लेखनीय है कि इस अवधि में ब्याज की भी प्राप्ति हुई थी।

कार्यालय का जवाबः– राशि का समायोजन कर अवशेष राशि विभाग को वापस कर दिया जायेगा।

अतः जवाब के आलोक में कार्रवाई.कर लेखा परीक्षा को सूचित किया जाय।

कण्डिकाः– 11 नगर पंचायत के कार्यालय भवन के निर्माण में अनियमितताएँ

राज्य सरकार द्वारा नगर विकास विभाग को पत्रांक–1398, दिनांक– 30.03.2007 के माध्यम से नगर पंचायत वीरपुर को प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु रू0– 38,50,500 के मानक प्राक्कलन के आधार पर 75 प्रतिशत अनुदान के रूप में रू0– 28,87,875 के अनुदान की स्वीकृति दी गयी। उक्त राशि तथा पंचायत को नगर विकास विभाग के पत्रांक–160, दिनांक–17.04.2007 के अनुसार बैंक ड्राफ्ट नं0– 090741 दिनांक– 11.04.07 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी। भुमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य दिसम्बर 2007 में प्रारम्भ हो सका। उक्त योजना के विभागीय क्रियान्वयन हेतु श्री अरूण कुमार राय, कर संग्राहक को अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया। योजना के अंतर्गत श्री राय को कुल रू0– 25,15,000.00 का अग्रिम निम्न प्रकार से दिया गयाः–

	दिनांक	राशि
1.	30/08/07	15,000.00
2.	24/12/07	2,00,000.00
3.	04/01/08	3,00,000.00
4.	31/01/08	4,50,000.00
5.	29/03/08	3,00,000.00
6.	29/04/08	5,00,000.00
7.	02/08/08	5,00,000.00
8.	31/10/09	2,50,000.00
		25,15,000.00

21,08,2006/=

संचिका में की गयी टिप्पणी के अनुसार श्री राय द्वारा 21.08.2006/– का मापीपुस्त प्रस्तुत किया गया था परन्तु उसके विरूद्ध एक भी अभिश्रव अथवा मस्टर रौल समर्पित नही किया गया था।

संचिका में दी गयी टिप्पणी के अनुसार श्री राय द्वारा दिनांक 14.09.08 को वीरपुर थाना प्रभारी को सूचना दी गयी थी कि दिनांक 18/08/2008 को आये बाढ में भवन निर्माण हेतु रखी गयी रु 566600 की सामग्री या तो बह गयी या चुरा ली गयी।

दिनांक 16/06/2012 को संचिका मे की गयी टिप्पणी के अनुसार श्री राय द्वारा कराये गये कार्य की अंतिम मापी कराकर शेष कार्य टेण्डर के माध्यम से कराने का निर्णय किया गया।

173

इसी बीच नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पंचायत के अनुरोध पर सामग्री का मुल्य बढ जाने के कारण पत्रांक 3189 दिनांक 19.06.08 द्वारा रु 50 लाख के पुनरीक्षित प्राक्कलन की सहमति दी गयी।

प्रशासनिक भवन के शेष कार्य हेतु दिनांक 18/12/2012 को निविदा आमंत्रित की गयी थी। जिसके अनुसार प्राक्कलन राशि 4394149 थी एवं बी0 ओ0 क्यू0 के अनुसार प्राक्कलित राशि रु 4396380 थी। बी0ओ0क्यू0 दर पर निविदा देकर कार्य पूर्ण कराया गया।

यद्यपि बी0 ओ0 क्यू0 के अनुसार प्राक्कलन रु 4396380 का ही था लेकिन भुगतान मापीपुस्त में वर्णित रु 4534799 का किया गया जो कि रु 138419 अधिक था।

आगे यह भी देखा गया कि बी0 ओ0 क्यू0 मे दरवाजों एवं खिडकियों के चौखट एवं दरवाजा के लिये रु327807 का प्रावधान (item No 11) किया गया था।परन्तु वर्ष 15–16 मे नगर पंचायत द्वारा इस कार्य हेतु एक अभिकर्त्ता को रु 351080 का भुगतान किया गया ।

लेखा–परीक्षा टिप्पणी

1 श्री राय द्वारा प्रतिवेदित रु 566600 के सामग्री के बाढ मे बह जाने /चोरी हो जाने के मामले मे कार्यालय द्वारा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।

2. कार्यालय भवन निर्माण में कुल 69.94 लाख रू व्यय किया जा चुका था, विवरण निम्न है:–

1	श्री राय के माध्यम से	2108206
2	संवेदक के माध्यम से	4534799
3	दरवाजा खिडकी मद मे	351080
कुल		6994085

इस प्रकार रु 50 लाख के पुनरीक्षित प्राक्कलन से भी रु 1994085 का अधिक व्यय किया जा चुका था।

विभाग के पत्रांक 366 दिनांक 21/01/10 के अनुसार योजना की स्वीकृति एवं आवंटन के पश्चात स्थानीय स्तर पर विलम्ब के कारण मूल्य वृद्धि हुई है तो वैसी स्थिति में बढी हुई अंतर राषि जिम्मेवार पदाधिकारी से वसुल की जानी है। परंतु इस संबंध मे नगर पंचायत द्वारा कार्रवाई किया गया या नहीं, से अकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।

3 श्री राय को प्रदान किए गये रु 2515000 के अग्रिम का समायोजन नहीं किया गया था।

4 श्री राय द्वारा कराये गये कार्य की अंतिम मापी की गयी थी अथवा नहीं, इससे अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।

5 संवेदक को बी0ओ0क्यू0 से रु 138419 का अधिक भुगतान किया गया था।

6 जब बी0ओ0क्यू0 में रु 327307 का प्रावधान खिडकी/दरवाजा हेतु किया गया था, जिसके अनुसार भुगतान भी किया गया था, परंतु अलग से उस मद मे रु 351080 का व्यय वर्ष 2015–16 में किया गया, जिसकी जॉच कराई जाय।

कार्यालय का जवाबः–

दर्ज आपतियों पर कार्रवाई की जायेगी तथा अग्रिम/अधिक भुगतान की गई राशि का समायोजन किया जायेगा।

लेखापरीक्षा निष्कर्षः– अतः पुनरीक्षित प्राक्कलन से अधिक व्यय की गई राशि 1994085.00 रू जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलनीय है। अग्रिम का समायोजन/वसूली किया जाय।

कण्डिकाः– 12 जलापूर्ति योजना के कियान्वयन में अनियमितताएँ

वित्तीय वर्ष 2012–13 में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांकः– SPUR-PMU/108/ROB-ULBs/2012/70 दिनांक–11.04.12 के तहत स्पर कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार/नवनिर्मित कार्यालय भवन के शेष कार्य/फर्नीचर इत्यादि के लिए 3.50 करोड़ रू का आवंटन नगर पंचायत–वीरपुर को दिया गया, जिसमें से Renovation and rehabilitation of water supply scheme including Water treatment plant के लिए 1.10 करोड़ रू की राशि कर्णांकित की गई। परंतु कार्यालय द्वारा इस योजना को तीन भाग में विभक्त कर कार्यान्वित किया गया तथा इन तीनों के लिए दिनांक–26.12.13 को खोले गये निविदा में एक ही संवेदक श्री राजेश कुमार सिंह सफल हुए तथा इन्हें कार्य आवंटित किया गया। विवरण निम्न हैः–

क्रम संख्या	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (रू में)	सफल संवेदक का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य पूर्णता की तिथि (मापी पुस्त. के अनुसार)
1	पी एच ई डी टंकी में आयरण रिमूभल प्लांट लगाने का कार्य	3741100	श्री राजेश कुमार सिंह	20.02.14	22.12.14
2	पानी आपूर्ति हेतु नये पाईप लाईन बिछाने एवं गाड़ने का कार्य	3736600	तथैव	तथैव	12.08.15
3	पानी आपूर्ति हेतु पुराने पाईप लाईन का मरम्मति कार्य	3412400	तथैव	तथैव	22.08.15
कुल		10890100			

लेखा परीक्षा आपत्तियाँः–

1. उपर्युक्त तीनों योजनाएँ विशेष कर क्रम संख्या–2 एवं 3 एक ही प्रकृति के थे। लेकिन कार्यपालक अभियंता से उच्चतर प्राधिकारी से निविदा निष्पादन से बचने हेतु योजना को तीन भाग में विभक्त कर 1.09 करोड़ रू की योजना को कार्यान्वित किया गया।
2. योजना संख्या–1 में तीन निविदादाताओं ने निविदा डाला, जिसमें से दो निविदा समान दर पर दिया गया तथा एक निविदादाता के द्वारा श्रम अनुज्ञप्ति नहीं दिये जाने के कारण इन्हें अयोग्य करार दिया गया। योजना संख्या–2 व 3 में दो निविदादाताओं द्वारा निविदा डाला गया, जिसमें से एक निविदादाता द्वारा अग्रधन की राशि जमा नहीं करने के कारण इन्हें अयोग्य करार दिया गया। इस प्रकार इन

योजनाओं में न्यूनतम तीन निविदा का शर्त पूरा नहीं हुआ तथा योजना संख्या– 2 व 3 में एकल निविदा पर इन योजनाओं का कार्यान्वयन कराया गया।

3. जल की आपूर्ति बहाल की गई या नहीं से संबंधित कोई प्रतिवेदन संचिका में नहीं पाया गया एवं यदि आपूर्ति बहाल की गई हो तो जल कर अधिरोपण नहीं करने के कारण से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।
4. दिनांक 26.12.13 को निविदा कार्य संपन्न हुआ परंतु कार्यादेश निर्गत नहीं किया गया क्योंकि कार्यालय पत्रांक– 105 दिनांक– 12.02.14 के अनुसार निविदा निष्पादन में निम्न दिक्कतें आ रही थी, जिसके निराकरण हेतु कार्यालय द्वारा डूडा, सुपौल तथा नगर पंचायत के सहायक व कनीय अभियंताओं से निम्न सूचनाओं की मांग की गई:–

1. पी एच ई डी से जल सप्लाई हेतु विस्तृत जानकारी ली गई है अथवा नहीं।
2. शहर मे फैले विस्तृत पुराने नष्ट हुए नल पाईपों का विवरणी पी एच ई डी से लिया गया है अथवा नहीं।
3. नये नल पाईप से कितनी आबादी लाभान्वित होगी।
4. नये नल पाईपों को किन–किन वार्डों में लगाये जाने की योजना है।
5. संबंधित कार्य का पर्यवेक्षण पी एच ई डी के अभियंता से कराना आवश्यक है या नहीं।

कनीय अभियंता, न0 पं0 वीरपुर द्वारा जवाब दिया गया कि :–

1. पी एच ई डी के कनीय अभियंता के उपस्थिति में ही जल सप्लाई हेतु विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उपरांत प्राक्कलन तैयार करवाया गया है
2. पाईपों में जल छोडने के उपरांत ही पता चलेगा कि कौन से पाईप क्षतिग्रस्त है।
3. पाईप लाईन बिछाने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी आबादी लाभान्वित होगी।
4. विभाग के विचारोपरांत ही निर्णय लिया जायेगा कि नये पाईप लाईन को कहाँ गाड़ना है ?
5. कार्यालय के आदेश में ही पी एच ई डी के के कनीय अभियंता से कार्य का पर्यवेक्षण कराने एवं प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया गया था।

उपर्युक्त जवाब से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा विस्तृत सर्वे किये बिना ही प्राक्कलन तैयार कराया गया तथा निविदा का कार्य भी संपन्न कर लिया गया क्योंकि कार्यालय को यह पता ही नहीं है कि कहाँ नये पाईप लाईन को गाड़ना है तथा कहाँ– कहाँ पुराना पाईप लाईन क्षतिग्रस्त है एवं कितनी आबादी इससे लाभान्वित होगी। उल्लेखनीय है कि ये विसंगतियां ठेकेदार को दिनांक–20.02.14 को कार्यादेश निर्गत करने के बाद भी विद्यमान थी जिसे ठेकेदार द्वारा दिनांक– 10.11.14 को आवेदन दिया गया कि योजना संख्या– 2 में किन स्थानों पर कार्य कराना है, उसकी सूची नहीं दी गई है।

5 इन योजनाओं को कार्यादेश के अनुसार तीन माह अर्थात 20.05.14 तक पूर्ण हो जाना था, परुंत उपरोक्त विसंगतियों के कारण कार्य को पूर्ण होने में 7 माह से 15 माह तक विलंब हुआ।

कार्यालय का जवाब:– भौगोलिक स्थिति के कारण तीन अलग– अलग प्राक्कलन तैयार कर बोर्ड के बैठक में रखा गया। बोर्ड के निर्णयानुसार योजनाओं का कियान्वयन कराया गया। पानी की आपूर्ति की गई है। जल कर अधिरोपण किया जायेगा।

अतः भविष्य में एक हीं प्रकृति की योजनाओं को विभक्त कर कियान्वयन कराने से बचा जाए एवं पी0 एच0 ई0 डी0 से नगर पंचायत द्वारा कियान्वित जलापूर्ति की योजना पर सहमति प्राप्त कर ली जाय एवं अन्य संबंधित आपतियों का विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

कण्डिका:–13

योजना सं0–16/15–16, ईदगाह से मदरसा चॉक तक सड़क निर्माण

प्राक्कलित राशि– 2,56,100.00

तकनीकी स्वीकृति– 22.07.15

कार्यादेश–22.08.15

अभिकर्ता को भुगतान – 22.08.15 7500

21.09.15 153500

09.05.16 56764

217764

वैट एवं रॉयल्टी की कटौती– 16506

234270

मापीपुस्त में अंतिम राशि/तिथि – 234230, दि0–31.08.15

अभिश्रव का विवरण:–

26.06.15, M/S Bijiya Trading Company	59,800
बालु ढुलाई हस्तलिखित सादा कागज अभिश्रव 7.76 M^3	18,055
स्टोनचिप्स ढुलाई –तथैव–15.53 M^3	35,780
मेटल ढुलाई –तथैव–10.35 M^3	23,845
बालु ढुलाई –तथैव–6.90 M^3	1,141
स्थानीय बालु –तथैव–254.00 M^3	49,677
	188298

मजदूर नामावली

दिनांक अंकित नहीं 45972

कुल= मजदूर नामावली+ अभिश्रव= 45972+ 188298= 234270

लेखा परीक्षा टिप्पणियॉ:–

1. प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि दर्ज नहीं थी।
2. मजदूर नामावली पर किस तिथि से कब तक मजदुरों ने कार्य किया था, अंकित नहीं था।
3. अभिलेख (M.R.)/मापीपुस्त के अनुसार 1 प्रतिशत लेबर सेस (234230 का 1%) 2342 की कटौती नहीं की गयी थी।
4. प्राक्कलन में Contractor Profit 10% नहीं घटाया था।
5. प्राक्कलन तथा मापीपुस्त में ढुलाई का प्राक्कलन नहीं किया गया था जबकि संचिका में सामग्री ढुलाई का अभिश्रव संलग्न था।
6. अभिश्रव के अनुसार सामग्री का क्रय तकनीकी स्वीकृति तथा कार्यदेश के पूर्व ही किया जा चुका था।

कार्यालय का जवाब:– आपति के आलोक में जॉच के उपरांत कार्रवाई की जायेगी।

अतः उपर्युक्त आपतियों का निराकरण किये जाने तक योजना पर व्यय राशि 234270.00 रू को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कण्डिकाः–14

योजना सं0–08/14–15, कार्यालय भवन का चार दिवारी का निर्माण।

प्राक्कलित राशि– 123500.00

तकनीकी स्वीकृति– 14.07.14

कार्यादेश–167, दिनांक–04.06.15 कार्यपालक पदाधिकारी

मापीपुस्त में अंतिम मापी/तिथि – 112255, दि0–20.06.15

अभिकर्ता को भुगतान –	18.06.15	7500
	11.07.15	98853
		106353
वैट एवं रॉयल्टी की कटौती–		5902
		112255

अभिश्रव का विवरणः–

R.C.S. Bricks Industry, 25.06.15, 7894 Nos	39,140
Carries of bricks gLrfyf[kr dkxt	4,613
Chips, M/S Bijiya Trading Company 28.06.15, 1.48 M^3	751
Carriage of chips. 1.48 M^3, 28.06.15	3,410
M/S Bijiya Trading Company , 28.06,15 Sand per M^3	2,729
Carriage of Sand per M^3	25,594
Cement 63 Bag, 28.06.15	20,538
Snow bean, 02.07.15 20 kg	966
	97,741

मजदुर नामावली

दिनांक अंकित नहीं

–वही–	5020
–वही–	2510
–वही–	948
	8648

कुल मजदुर नामावली+ अभिश्रव= 97741+ 17126=114867

लेखा परीक्षा टिप्पणयॉः–

1. मापीपुस्त के अनुसार कार्य 20.06.15 को पूर्ण कर लिया गया था किन्तु अभिश्रव के तिथि के अनुसार 28.06.15 को चिप्स, बालु का क्रय/ढुलाई किया गया था। अतः सामग्री का क्रय/प्रयोग योजना में संदिग्ध प्रतीत होता है।
2. मजदूर नामावली में मजदूरों की उपस्थिति तिथि दर्ज नहीं थी।
3. 1 प्रतिशत श्रम सेस ₹ 1122.00 (112255 X 1%) की कटौती नहीं की गयी थी।
4. वैट एवं रॉयल्टी कटौती की राशि ₹ 3902 का जमा सरकार के राजस्व शीर्ष में दिखाया जाय।
5. संचिका में संलग्न कागजात से प्रशासनिक तिथि स्पष्ट नहीं हो पाया था।

6. मापीपुस्त तथा प्राक्कलन में ढुलाई का ब्रेक–अप दर्ज नहीं था जबकि संचिका में अभिश्रव संलग्न था।
7. कॉन्ट्रेक्टर प्रॉफीट प्राक्कलन में नहीं घटाया गया था।

कार्यालय का जवाबः– आपति के आलोक में जॉच के उपरांत कार्रवाई की जायेगी।

अतः उपर्युक्त आपत्तियों का निराकरण किये जाने तक योजना पर व्यय राशि 112255.00 रू को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

भाग–III

टिप्पणीः– 01 लेखापाल रोकड़ बही में त्रुटियाँ

1. रोकड़ बड़ी में दिनांक 31.03.16 को दर्ज अंतशेष की राशि 27693185.00 रू था, जबकि गणना करने के उपरांत वास्तविक अंतशेष 27107605.61 रू होगा, अर्थात अंतशेष की राशि को 585570.30 से अधिक कर दिया गया था। यह त्रुटि प्रारंभिक शेष के रूप में दिनांक 01.04.15 को 502844.00 रू एवं दिनांक 30.04.15 को 82726.30 रू अधिक दर्ज करने के कारण था।

रोकड़ बही में दिनांक 31.03.16 को दर्ज अंतशेष की राशिः–27693185.61

(–)502844.00

(–)82726.30

वास्तविक अंतशेष की राशि दिनांक 31.03.16 को = 27107615.61

एक ही रोकड़बही में कई मदों यथा योजनाएँ, स्वयं स्रोत, अन्य मद आदि से प्राप्त आय का लेखांकन किया गया था, तथा विभिन्न योजनाओं/गैर योजनाओं मद में व्यय किया गया था। सभी मदों का सहायक रोकड़बही संधारित नहीं किया गया था।

2. रोकड़बही के व्यय पक्ष में व्यय का शीर्ष दर्ज नहीं किया गया था।
3. वर्ष के अंत में प्राप्ति एवं व्यय का सार तैयार नहीं किया गया था।
4. रोकड़बही में अधिकांश व्यय के बारे में यह स्पष्ट करना मुश्किल था कि किस मद में कितनी राशि व्यय की गई एवं कितनी राशि अव्यवहृत पड़ी थी तथा प्राप्त राशि जिस मद एवं जिस उद्देश्य के लिए अनुदान के रूप प्राप्त हुई थी उस उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं।

कार्यालय का जवाबः– रोकड़ बही में दर्ज अंतशेष की राशि को सुधार कर लिया जायेगा एवं अन्य आवश्यक त्रुटियों को सुधार कर लिया जायेगा।

अतः इंगित त्रटियों को सुधार कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

टिप्पणीः–2 रोकड़बही/पासबुक में कमियाँ

रोकड़बही एवं पासबुक के जाँच के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः–

1	कोषागार पासबुक		
a	Ch No. 105755 25.06.14	1,53,767.00	पेमेंट पासबुक में इंद्राज नहीं है।
b	05.09.14	4,32,703	Reciept का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है
c	Ch No. 73053 06.11.15	रोकड़ बही में 46450.00 है लेकिन पासबुक में 52784 है।	
d	Ch No. 73082 04.02.16	3,15,840.00 का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है।	
2	P.N.B. A/C No.-2489000100078928		
a	Ch No.- 6804 05.02.16	24,000.00 का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है। लेकिन पासबुक है।	
b	Ch No.- 6805 12.02.16	4,56,354.00 का रोकड़ बही में इद्राज नहीं है। लेकिन पासबुक है।	
c	छमाही ब्याज जो बैंक से प्राप्त होते है रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है।		
3	P.N.B. A/C No.-2489000100078928		
a	20.03.14	1,66,525.00	Reciept का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं हैं।
b	26.07.14	3,09,217.00	Reciept का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं हैं।
c	16.08.14	40,000.00	Reciept का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं हैं।
d	18.08.14	33,000.00	Reciept का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं हैं।
e	18.08.15	99,000.00	Reciept का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है
f	बैंक से प्राप्त सूद का इंद्राज रोकड़ बही में नहीं है।		
4.	P.N.B. A/C No.-2489000100075897		
a	बैंक से प्राप्त सूद का इंद्राज रोकड़ बही में नहीं है।		
5.	C.B.I. A/C No.-2120945328		
a	बैंक से प्राप्त सूद का इंद्राज रोकड़ बही में नहीं है।		
6	S.B.I. A/C No.- 11712632872		
a	बैंक से प्राप्त सूद का इंद्राज रोकड़ बही में नहीं है।		
7	C.B.I. A/C No.-2121022660		
a	बैंक से प्राप्त सूद का इंद्राज रोकड़ बही में नहीं है।		
8	P.N.B. A/C No.-2489000100075903		
a	बैंक से प्राप्त सूद का इंद्राज रोकड़ बही में नहीं है।		
9	S.B.I. A/C No.- 11712588286		
a	01.04.13 – 01.10.13 तक बैंक पासबुक उपलब्ध नही है।		
b	29.01.16 – 31.03.16 तक बैंक पासबुक उपलब्ध नही है।		
10	C.B.I. A/C No.-3143570556		
a	16.07.15 – 31.03.16 का बैंक पासबुक उपलब्ध नहीं है।		

अंकेक्षण टिप्पणी

1. S.B.I. CA A/C No.- 11712588286 तथा C.B.I. CA A/C No.- 3143570556 बैंक पासबुक नहीं उपलब्ध कराया गया।

2. बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था।

3. उपरोक्त कमियों का निराकरण कर अंकेक्षण दल को अवगत करायें।

कार्यालय का जवाबः– उपर्युक्त त्रुटियों को सुधार कर लिया जायेगा।

अतः उपर्युक्त त्रुटियों का निराकारण कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

टिप्पणीः– 03

नगर पंचायत वीरपुर में अग्रिम पंजी का संधारण नही किया गया था। रोकड़पाल के रोकड़बही के जाँच में पाया गया कि कई कर्मचारियों को 2012–13 से 2015–16 के बीच रू0– 13,73,935 अग्रिम दिया गया था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–VIII पर संलग्न)

कार्यालय का जवाबः– कुछ अग्रिमों का समायोजन किया गया है एवं अन्य लंबित अग्रिमों का समायोजन किया जायेगा।

अतः अग्रिम के समायोजन की स्थिति से अगले लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

–हस्ता0–
सुबोध प्रसाद
(स0ले0प0अ0)
–अनुमोदित–
उप महालेखाकार (एस0 एस0 1)
–सह–
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार

परिषिष्ट- I

अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की सूची की विवरणी

(प्रतिवेदन के भाग–1 के कंडिका संख्या– 3 से संदर्भित)

क्रम सं0	अभिलेखों का नाम
1.	लेखापाल रोकड बही व पास बुक
2.	टभिश्रव
3.	योजना अभिलेख
4.	सैरात संचिकाएँ
5..	विविध रसीद व इसका भंडार पंजी
6..	क्रय से संबंधित संचिका (आंषिक)
7.	संचार मीनारों से संबंधित माँग एवं वसूली विवरणी
8.	भवन करों (होल्डिंग्स टैक्स) का माँग एवं संग्रहण विवरणी
9.	योजनाओं से संबंधित विवरणी

परिषिष्ट-II

अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये अभिलेखों की सूची की विवरणी

(प्रतिवेदन के भाग–1 के कंडिका संख्या– 3 से संदर्भित)

क्रम सं0	अभिलेखों का नाम
1.	विज्ञापन का माँग एवं संग्रहण (लेखा) पंजी
3.	ऋण विनियोग पंजी
5.	निबंधित वास्तुविदों की पंजी
6.	चल सम्पतियों से संबंधित पंजी/भंडार लेखा
7.	विधि पंजी
8.	सेवानिवृत/ मृत कर्मियों के दावे के विवरण से संबंधित पंजी
10.	मदवार आय व व्यय का वार्षिक संवरण
12.	प्राप्तियों व व्यय का त्रैमासिक तथा वार्षिक पंजी
13.	जमा पंजी व अग्रिम पंजी
14.	लेखापरीक्षा पंजी
15.	सरकारी प्रतिभूतियों की पंजी
16.	संपत्ति पंजी
17.	किराया पंजी
18.	जमाबंदी पंजी
19.	लीजधारियों की पंजी
22.	ह्रास अपषिष्ट प्रबंधन से संबंधित पंजी
23.	ह्रास निधि पंजी (Depreciation fund register)
25.	वाहनों का लॉगबुक तथा संबंधित अभिलेख
27.	दुकान किराया की पंजी एवं एकरारनामा
29.	सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत संचिका
30.	उपयोगिता प्रमाण पत्र
31.	नक्षा पंजी
33.	संधारित किय गये अभिलेखो की सूची
34	बजट

परिशिष्ट-- III

लेखा परीक्षा परिणाम

प्रतिवेदन के भाग– I कंडिका सं. 9 से संदर्भित

क्र.सं.	कंडिका सं. (II ख)	अंकेक्षण के दौरान वसूली गयी राशि	वसूली हेतु सुझाई गयी राशि	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि
1	1			1774725
2	2		326929	
3	3		113019	
4	7		108915	
5	9			1094852
6	11		1994085	
7	13			234270
8	14			112255
	कुल		2542948	3216102

परिशिष्ट– IV

नगर पंचायत को प्राप्त अनुदान का विवरण

(प्रतिवेदन के भाग--1 के कंडिका संख्या– 10 से संदर्भित)

वर्ष 2013–14

प्राप्ति तिथि	विवरण	पत्रांक / दिनांक	राशि
10.05.13	तेरहवीं वित आयोग	–	980889
			191000
31.07.13	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	–	702879
08.08.13	तेरहवीं वित आयोग	12 / 19.07.13	1102933
18.09.13	कबीर अंत्येष्टि		18000
			16500
24.10.13	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	दर्ज नहीं	938314
06.12.13	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	–	15890
09.12.13	कबीर अंत्येष्टि	–	112500
			226500
19.12.13	पारिवरिक लाभ	–	5000
08.01.14	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	–	248904
30.01.14	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	–	1195848
			26928
05.03.14	पथ निर्माण हेतु	–	1973913
			1326087
14.03.14	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	–	295267
20.03.14	पेशा कर मद में प्राप्त आवंटन	42 / 26.09.13	343883
21.03.14	चतुर्थ राज्य वित आयोग	102 / 15.03.14	7201162
		कुल	**16922397**
	2014–15		
27.05.14	तेरहवीं वित आयोग	–	1057847
30.08.14	पेशा कर	14 / 16.06.14	432703
19.08.14	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	–	175221
19.08.14	तेरहवीं वित आयोग	–	1057847
27.09.14	कबीर अंत्येष्टि	507 / 22.09.14	138000
			48000
17.10.14	तेरहवीं वित आयोग	–	1083131
10.11.14	पारिवारिक लाभ	391 / 31.07.14	20000
			110000
			10000
17.11.14	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	–	480120
29.12.14	प्रतिनिधि भता	–	130800
02.12.14	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	–	72500
13.01.15	ई गवर्नेंस योजना के तहत तीन टेवलेट कय हेतु	98 / 09.01.15	150000
18.02.15	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	–	858400
16.03.15	ई गवर्नेंस योजना के तहत महिला वार्ड पार्षदों के लिए	–	150000